



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं 810/2017

1- श्यामलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम साहू, 52 वर्ष, कृषक, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। 2- मन्मूलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम साहू, 50 वर्ष कृषक, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1- रामबाई पिता गंगाराम साहू, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

2 - दुष्यंत कुमार पिता गंगाराम साहू, 21 वर्ष , निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

3 - किरण कुमार पिता गंगाराम साहू, 19 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

4 - नारायण पिता सखाराम साहू, 45 वर्ष , निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

5 - रामेश्वर पिता सखाराम साहू, 40 वर्ष , निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

6 - सुरेश पिता सखाराम साहू, 38 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

7 - चामरीन बाई पति सखाराम साहू, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

8 - बिस्निन बाई पति आनंदराम साहू, आयु लगभग 62 वर्ष , निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

9 - केदार पिता आनंदराम साहू, आयु 45 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

10 - जागेश्वर पिता आनंदराम साहू, आयु 43 वर्ष , निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।



11 – कृपाराम पिता आनंदराम साहू, 36 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

12 – नरेश पिता आनंदराम साहू, 34 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

13 – माननीय न्यायालय के दिनांकित 21-10-2024 आदेश के अनुपालन में विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से महेश कुमार (मृत तथा हटाए गए)।

13.1 – (ए) विश्व बाई, पति स्वर्गीय महेश कुमार, लगभग 55 वर्ष, निवासी आमदी वेदपारा, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

13.2 – (ख) किरण साहू पिता स्वर्गीय महेश कुमार की आयु 30 वर्ष पति चंद्रहास साहू, निवासी ग्राम धुमा, पोस्ट दारी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

13.3 – (ग) नूतन साहू, पिता स्वर्गीय महेश कुमार, लगभग 28 वर्ष, पति अनिल माला, गाँव तथा पोस्ट पुरुर, तहसील गुमार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

13.4 – (घ) हुलेश्वरी साहू पिता स्वर्गीय महेश कुमार 26 वर्ष पति जितेंद्र साहू, ग्राम पेंड्री, पोस्ट कलंगपुर, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

13.5 – (ई) गायत्री साहू पिता स्वर्गीय महेश कुमार, 24 वर्ष, डाक- आमदी, वेदपारा, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

14 – ईश्वरलाल पिता स्वर्गीय फाल्जी साहू, आयु 45 वर्ष, निवासी गाँव आमदी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, जिला:धमतरी, छत्तीसगढ़

15-(मृतक) ऊम्बई (विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से), माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 05-09-2023 के अनुसार।

15.1 – ए. भगत सिंह, पिता।सुदर्शन लाल, आयु लगभग 60 वर्ष (पति),-3 निवासीगाँव भथेली, तहसील कुरुद, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़।

15.2 – बी. भीमेश्वरी साहू, पतिशेष नारायण, आयु लगभग 40 वर्ष निवासी।गाँव बेलार, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

15.3 – सी. हेमलता साहू, पतिपरमेश्वर साहू, आयु लगभग 36 वर्ष निवासीगाँव कन्हेरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

15.4 – डी. डिश्वरी साहू, पतिलोकनाथ साहू, आयु लगभग 32 वर्ष निवासी।गाँव-कुकराडेह, तहसील तथा जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।



- 15.5 – ई. दिगेश्वर (सुनील), पिता।भगत सिंह आयु लगभग 31 वर्ष ,निवासीगाँव-भथेली, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़।
- 16 – महताब बाई पिता फुलजी साहू, आयु लगभग 49 वर्ष , निवासी गाँव तथा डाक अरमारिकला, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
- 17 – सकुन बाई पिता फुलजी साहू, आयु लगभग 47 वर्ष , निवासी गाँव बनबागौड, पोस्ट कुक्रेल, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
- 18 – रमेश्री बाई पिता फुलजी साहू, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी गाँव कुर्रा, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
- 19 – निर्मला बाई, पिता फुलजी साहू, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गाँव करीली छोटे, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
- 20 – (हटा दी गई) श्रीमती राजबाई माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21-10-2024 के अनुपालन में, जिला:धमतरी, छत्तीसगढ़
- 21-श्रीमती. जयंत पति भूपतसिंह साहू, आयु लगभग 47 वर्ष निवासी गाँव छारवाही, तहसील तथा जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
- 22 – श्रीमती. मीनाबाई पति श्रवण कुमार साहू, आयु लगभग 45 वर्ष , निवासी गाँव मार्कटोला, तहसील तथा जिला कांनिवासीर, छत्तीसगढ़।
- 23 – श्रीमती. सुनीता पति मनहरण साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी गाँव बेलारगोंडी, तहसील छुरिया, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।
- 24 – श्रीमती. हरिन बाई पति होसराम साहू, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गाँव अरकार, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
- 25 – यशवंत पिता किशन लाल साहू निवासी ग्राम अरकार, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला:बालोद, छत्तीसगढ़
- 26 – लोनिवासीश पिता किशनलाल साहू, निवासी ग्राम अरकार, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला:बालोद, छत्तीसगढ़
- 27-शीतल पिता किशनलाल साहू, निवासी ग्राम अरकार, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ उत्तरवादी संख्या 21 से 27 उत्तरवादी सं.14, के विधिक प्रतिनिधि हैं। जिला बालोद,छत्तीसगढ़
- 28 – रंभा बाई पति दुलरसिंह साहू, लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम परसाही, पोस्ट खापरी, तहसील बालोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला:दुर्ग, छत्तीसगढ़



29 - छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा, धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ ----- प्रतिवादी,
जिला:धमतरी, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 से 11 और 14 हेतु :श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता
राज्य /प्रतिवादी सं.29 हेतु :श्री शुभम बाजपेयी, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री राकेश मोहन पांडे, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

22.03.2025

1) याचिकाकर्ताओं/वादीगण ने सिविल वाद संख्या 158 ए/2013 दिनांक 23.08.2017 में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-□, धमतरी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत वादीगण द्वारा सीपीसी की धारा 151 के तहत दस्तावेज जप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं:□. वादी ने पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए 30.01.2002 को वाद दायर किया। उन्होंने प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा और 23,000 रुपये के नुकसान हेतु अनुतोष कि मांग कि है ।

बी. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बीच वाद की संपत्ति का बंटवारा हो गया था और 12.03.1966 को पक्षों के बीच एक करार हुआ था; 12.03.1966 को सशर्त विलेख की शर्त भी निष्पादित की गई थी और विभाजन विलेख 15.07.1973 को निष्पादित किया गया था। सी. प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया और वाद में किए गए दावों से इनकार किया। उन्होंने विभाजन के तथ्य को स्वीकार किया परंतु इसके निष्पादन दिनांक से इनकार किया।

डी. याचिकाकर्ताओं ने सशर्त करार की अपंजीकृत शर्त और 12.03.1966 के करार को जप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। ई. प्रतिवादियों ने उक्त आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया।

एफ. विद्वान विचारण न्यायालय ने 14.12.2010 को स्टाम्प ड्यूटी में कमी का पता लगाने के लिए दस्तावेजों को कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा।



जी. कलेक्टर (स्टाम्प) ने 15.02.2013 के ज्ञापन (एक्स.पी/8) के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित किया कि दस्तावेजों को उनकी प्रस्तुति दिनांक से 5 वर्ष पहले निष्पादित किया गया था, इसलिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संक्षेप में, स्टाम्प अधिनियम) की धारा 48 बी के प्रावधानों के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वसूली उचित नहीं होगी।

एच. याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेजों को जब्त करने के लिए 25.04.2016 को सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन दायर किया।

आई. प्रतिवादियों ने आवेदन पर जवाब दाखिल किया तथा तर्क दिया है कि कलेक्टर (स्टाम्प) ने पहले ही दस्तावेजों को जब्त करने से इनकार कर दिया है और विलंब का कारण बताए बिना 03 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

जे. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.08.2017 के आदेश के तहत इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा दस्तावेज वापस कर दिए गए थे और याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 वर्ष तक कोई कदम नहीं उठाया गया था।

के. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी है।

3) श्री सोमनाथ वर्मा ने तर्क दिया कि दस्तावेजों को जब्त करने के लिए आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उक्त न्यायालय के पास उपलब्ध तरीका यह था कि स्टाम्प ड्यूटी में कमी का निर्णय करने के बाद दस्तावेज को जब्त कर लिया जाए और उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वसूली के लिए दस्तावेज को कलेक्टर (स्टाम्प) के पास भेज दिया जाए। उन्होंने यह तर्क दिया कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के तहत कलेक्टर (स्टाम्प) की शक्ति, स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के तहत न्यायालय की शक्ति से पूरी तरह अलग है। उन्होंने आगे कहा कि कलेक्टर (स्टाम्प) ने धारा में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वसूली के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और फिर भी न्यायालय दस्तावेजों को जब्त करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए उन्होंने **ब्लैक पर्ल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्लैनेट एम रिटेल लिमिटेड** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट (2017) 4 एससीसी 498 में दी गई है।

4) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 11 और 14 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पी.आर. पाटनकर ने श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दस्तावेज को जब्त करने के लिए 25.9.2008 को आवेदन दिया गया था और उसके तुरंत बाद, दस्तावेजों को कलेक्टर (स्टाम्प) के पास भेज दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि कलेक्टर (स्टाम्प) ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया क्योंकि दस्तावेजों को स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के प्रावधानों के अनुसार उनकी प्रस्तुति की तारीख से पांच साल पहले निष्पादित किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने तीन वर्ष के अवधि



के लिए मौन रहा है और उसके बाद सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दिया गया, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया कि इसे 03 वर्ष के विलंब से पेश किया गया था और विलंब वाले भाग को ठीक से समझाया नहीं गया था।

5) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री शुभम बाजपेयी ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

6) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7) अधिनियम, 1899 की धारा 33 दस्तावेजों की जांच और जब्ती से संबंधित है। धारा 33 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:---

“33. उपकरणों की जाँच तथा ज़ब्त करना।

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार प्राप्त है, और प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी के सिवाय किसी लोक पद का भारसाधक है, जिसके समक्ष कोई ऐसा उपकरण, जो उसकी राय में कर्तव्य से प्रभार्य है, पेश किया जाता है या उसके कृत्यों के पालन में आता है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा उपकरण सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

(2) उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और ऐसे प्रस्तुत या उसके समक्ष आने वाले प्रत्येक लिखत की जांच करेगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर उस मूल्य और वर्णन का स्टाम्प लगा है, जो उस समय भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित है, जब ऐसा लिखत निष्पादित किया गया था या प्रथम बार निष्पादित किया गया था:

परंतु कि (क) इसमें अंतर्विष्ट कोई बात किसी मजिस्ट्रेट या दंड न्यायालय के न्यायाधीश को, यदि वह ऐसा करना ठीक न समझे, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के दौरान उसके समक्ष आने वाले किसी लिखत की जांच करने या उसे जब्त करने की आवश्यकता नहीं समझी जाएगी [अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें]।];

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस धारा के अधीन किसी दस्तावेज की जांच करने और उसे जब्त करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को सौंपा जा सकता है जिसे न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करे।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संदेह की स्थिति में,

(क) [राज्य सरकार] [ए.ओ.1937 द्वारा प्रतिस्थापित, "गवर्नर-जनरल इन काउंसिल" के स्थान पर।]] यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से कार्यालय सार्वजनिक कार्यालय माने जाएंगे; और

(ख) [राज्य सरकार] [ए.ओ.1937 द्वारा प्रतिस्थापित, "गवर्नर-जनरल इन काउंसिल" के स्थान पर।]] यह निर्धारित किया जा सकता है कि सार्वजनिक पदों के प्रभारी व्यक्ति कौन माने जाएंगे।"



8) उपर्युक्त प्रावधानों के वाचन से से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई दस्तावेज प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाता है और न्यायालय या प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस पर विधिवत् स्टाम्प नहीं लगा है, तो न्यायालय या प्राधिकारी उसे जब्त कर लेगा।

9) यह धारा आगे कहती है कि दस्तावेज को जब्त करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए उपकरण की जांच करेगा कि क्या उस पर विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण की मुहर लगी है।

10) यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि बिना विधिवत् स्टाम्प लगे दस्तावेज को जब्त करने के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है।

11) स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी, जो कि राज्य संशोधन है, कमी के मामले में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मूल उपकरण से संबंधित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48-बी इस प्रकार है: ---

"48-बी कमी की स्थिति में मूल दस्तावेज को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

- जहां किसी दस्तावेज की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी देखी जाती है, कलेक्टर आदेश द्वारा मूल दस्तावेज के कब्जे या अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, ताकि वह उस पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके। यदि आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर मूल दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि मूल दस्तावेज पर विधिवत् स्टाम्प नहीं लगा है और कलेक्टर इस अध्याय में दिए गए तरीके से कार्यवाही कर सकता है; परंतु कि इस धारा के तहत कोई कार्यवाही ऐसे दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद नहीं की जाएगी।"

12) यह धारा यह स्पष्ट करती है कि यदि मूल दस्तावेज प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उस पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकता है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के बाद कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13) वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने स्टाम्प ड्यूटी की पर्याप्तता की जांच करने के लिए दस्तावेजों को ज्ञापन के साथ कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दस्तावेजों को वर्ष 1966 और 1973 में निष्पादित किया गया था। इसलिए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के प्रावधान के अनुसार, कलेक्टर (स्टाम्प) ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

14) कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा 15.02.2013 को पारित आदेश याचिकाकर्ताओं को विधिवत् रूप से सूचित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तीन वर्ष की अवधि के लिए मौन रहा है और उसके बाद दस्तावेजों



को जब्त करने के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है कि आवेदन तीन वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था।

15) ब्लैक पर्ल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 33 के प्रावधानों पर विचार करते हुए माना कि धारा 33 में यह प्रावधान है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या उपकरण "विधिवत रूप से मुहरबंद" है या नहीं और परिणामस्वरूप इस तरह के उपकरण को जब्त किया जा सकता है या नहीं, उपकरण की जांच आवश्यक है। इस प्रकार, धारा 33 मूल रूप से उपकरण की जांच और जब्ती से संबंधित है। सुसंगत कंडिका 14 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

"14. उपर्युक्त प्रावधान के वाचन से यह स्पष्ट है कि धारा 33 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या उपकरण "विधिवत रूप से स्टाम्पित" है या नहीं और परिणामस्वरूप इस तरह के उपकरण को जब्त किया जा सकता है या नहीं, उपकरण की जांच आवश्यक है। इस प्रकार, धारा 33 मूल रूप से उपकरण की जांच और जब्ती से संबंधित है। धारा 33 (2) (बी) के व्यापक अर्थ और अभिप्राय को समझने के लिए शब्दकोश खंड का संदर्भ लेना आवश्यक है। 1957 के अधिनियम की धारा 2(1)(ई) में निहित "विधिवत मुद्रांकित" की परिभाषा यह मानती है कि जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी लिखत पर लागू "विधिवत मुद्रांकित" का अर्थ है कि लिखत पर उचित मात्रा से कम का चिपकने वाला स्टाम्प लगा होता है और ऐसा स्टाम्प कर्नाटक राज्य के क्षेत्रों में उस समय लागू कानून के अनुसार चिपकाया या उपयोग किया गया है। इस प्रकार, "विधिवत मुद्रांकित" लिखत को तीन आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए, अर्थात्, (□) स्टाम्प उचित मात्रा का होना चाहिए; (□□) स्टाम्प का उचित विवरण होना चाहिए; और (□□□) स्टाम्प कर्नाटक राज्य में उस समय लागू कानून के अनुसार चिपकाया और उपयोग किया गया होना चाहिए।"

16) पेटेती सुब्बा राव बनाम अनुमाला एस. नरेंद्र (2002) 10 एससीसी 427 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अध्याय □□ में 'विधिवत स्टाम्प न किए गए उपकरणों' के संबंध में प्रावधान हैं। उक्त अध्याय के अंतर्गत धारा 35 आती है, जो विचारण न्यायालय को पक्षकार (जो चाहता है कि दस्तावेज पर कार्यवाही की जाए) को स्टाम्प ड्यूटी (या कमी वाला हिस्सा) के साथ पंद्रह रुपये का जुर्माना या उचित ड्यूटी या उसके कमी वाले हिस्से की राशि का दस गुना, जो पंद्रह रुपये से अधिक हो, ऐसे ड्यूटी या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। यह दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के उद्देश्य से है। ऐसी स्थिति में, दस्तावेज को केवल उपरोक्त राशि के भुगतान पर ही स्वीकार किया जाएगा। सुसंगत कंडिका 5 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

"5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अध्याय □□ में 'विधिवत स्टाम्प न किए गए दस्तावेजों' के बारे में प्रावधान हैं।

यह धारा 35 है जो उक्त अध्याय के अंतर्गत आती है, जो ट्रायल कोर्ट को पक्षकार (जो चाहता है कि दस्तावेज



पर कार्रवाई की जाए) को स्टाम्प शुल्क (या कमी वाला हिस्सा) पंद्रह रुपये के जुर्माने के साथ भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार देती है, या, जब उचित शुल्क या उसके कमी वाले हिस्से की राशि का दस गुना पंद्रह रुपये से अधिक हो, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश देती है। यह दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार किए जाने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज़ को केवल उपरोक्त राशि के भुगतान पर ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां पक्षकार इच्छुक नहीं है या वह उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थ है, न्यायालय को अधिनियम की धारा 38(2) में परिकल्पित प्रक्रिया को अपनाना होगा। वह उपधारा उस कार्रवाई के संदर्भ में है जिसे विचारण न्यायालय, अधिनियम की धारा 33(1) के तहत अपनाने के लिए बाध्य है।

17) **उमेश कुमार प्रकाशचंद्र शर्मा बनाम राजाराम रामचंद्र जाट व अन्य** के मामले में, जैसा कि एआईआर 2010 एमपी 158 में रिपोर्ट किया गया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 से निराकरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि जब दस्तावेज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और न्यायालय उसे जब्त कर लेता है, तो कलेक्टर (स्टाम्प) को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के तहत दस्तावेज़ जब्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, लेकिन कलेक्टर को न्यायालय से दस्तावेज़ प्राप्त करना होगा और फिर विधि के अनुसार आगे बढ़ना होगा। एक बार जब मामला स्टाम्प अधिनियम की धारा 38(2) के तहत कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है, तो उसे यह तय करना होता है कि उक्त दस्तावेज़ पर विधिवत स्टाम्प लगा है या नहीं। एक बार जब वह निर्धारित कर लेता है कि दस्तावेज़ पर विधिवत स्टाम्प लगा है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि दस्तावेज़ पर विधिवत स्टाम्प लगा है या यह स्टाम्प शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है। यद्यपि, अगर कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा दस्तावेज़ शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगा है, तो उसे पांच रुपये के जुर्माने के साथ उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

18) स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि यह स्पष्ट करते हैं कि दस्तावेज़ों को कलेक्टर (स्टाम्प) को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भेजा जा सकता है कि दस्तावेज़ पर विधिवत स्टाम्प लगा है या नहीं।

19) वर्तमान प्रकरण में, दस्तावेज़ों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा गया था और उन्होंने स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के प्रावधान के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, लेकिन कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा लिया गया निर्णय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अनुसार दस्तावेज़ को जब्त करने की न्यायालय की शक्ति को कम नहीं आणी। विधानमंडल ने न्यायालय को दस्तावेज़ को जब्त करते समय उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माना, यदि कोई हो, का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति प्रदान की है और उसके बाद वसूली कार्यवाही के लिए, दस्तावेज़ों को कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा जा सकता है।



20) श्री पाटनकर द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सीपीसी कि धारा 151 के तहत आवेदन तीन साल बीत जाने के बाद पेश किया गया था, इस न्यायालय की राय में, तकनीकी पहलुओं के कारण न्याय को पराजित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेज के साथ-साथ दस्तावेज को जब्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, विद्वान विचारण न्यायालय को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था और दस्तावेजों को जब्त करने के बाद, दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी की कमी का आकलन करने के लिए कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा जा सकता था।

21) उपर्युक्त तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है, इसलिए इसे अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों को नए सिरे से जब्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है।

22. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। इस पर कोई वाद व्यय देय नहीं होगा।



सही/-
(राकेश मोहन पांडे)
न्यायाधीश



न्यायालय भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विवादक को निर्धारित करने के लिए दस्तावेज़ का उल्लेख कर सकता है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगी है या नहीं। विधायिका ने न्यायालय को उचित स्टाम्प शुल्क तथा जुर्माने का निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है, जबकि अधिनियम, 1899 की धारा 48 बी में अनुध्यात दस्तावेज़ तथा सीमा प्रतिबंध को जब्त करना आकर्षित नहीं करेगा।





अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

